न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 364/2017
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 88/53 आरटीए

1	राजेन्द्र सिंह पुत्र शिवराज सिंह		जाति जटसिख सा.जण्डवालासिखान
2	अमनदीप सिंह	पि. गुरराज सिंह	तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3	गगनदीप सिंह		

वादीगण

बनाम

1	हाकम सिंह उर्फ जगमेर सिंह पुत्र जसमल सिंह		जाति जटसिख
2	शिवराज सिंह	पि. हाकम सिंह उर्फ जगमेर सिंह	सा. जण्डवालासिखान
3	गुरराज सिंह		तह. संगरिया
4	अमरजीत कौर	पुत्रियां हाकम सिंह उर्फ जगमेरसिंह	जिला हनुमानगढ
5	मलकीत कौर		
6	बलजिन्द्र कौर		
7	मनदीप कौर		
8	सर्वजीत कौर	पुत्रियां शिवराज सिंह	
9	कर्मजीत कौर		
10	चरणजीत कौर पुत्री गुरराज सिंह		
11	शाखा प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी बैंक लि. शाखा संगरिया		
12	तहसीलदार राजस्व संगरिया		

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री नक्षत्र सिह सिद्धू अधिवक्ता—वादीगण
2. श्री गुरमीत सिह कलसी अधिवक्ता—प्रतिवादी संख्या 1 ता 10
3. राज—पैरोकार — प्रतिवादी संख्या 12

उक्त अनवानी दावा वादीगण की तरफ से जरिये वकील इन तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादीगण व प्रति. स. 1 ता 10 एक ही परिवार के सदस्य है जिनके संयुक्त परिवार की वंशावली दावा की दफा 2 में दर्ज है तथा वादीगण के परिवार की संयुक्त आराजी चक 6 एन.के.आर खाता स. 98/87 खाता शिवराज सिंह वगैरा व इसी चक के खाता स. 99/89 खाता शिवराज सिंह व इसी चक के खाता स. 71/64 खाता बलवन्त कौर वगैरा व इसी चक के खाता स. 40/32 खाता जगमेर सिंह व इसी चक के खाता स. 112/100 खाता हाकम सिंह व इसी चक के खाता स. 30/23 खाता गुरराज सिंह ज.स.2071—74 मे दर्ज राजस्व रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड मे प्रति. स. 1 के नाम से आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है प्रति. स. 1 के नाम दर्ज आराजी हमारी जददी जायदाद होने के कारण प्रति. स. 2 ता 7 का जन्म से ही प्रति. स. 1 के साथ विरास्तन हक व हिस्सा प्रति. स. 1 के साथ बनता है किन्तु प्रति. स. 1 व 4 ता 7 ने अपने समस्त हक व हिस्से का परित्याग प्रति. स. 2 व 3 के पक्ष मे कर दिया है अतः प्रति. स. 4 ता 7 का उक्त आराजी मे कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है बलवन्त कौर के नाम दर्ज आराजी के प्रति. स. 2 व 3 ही खातेदार काश्तकार है प्रति. स. 2 को विरास्तन प्राप्त आराजी वादी स. 1 व प्रति. स. 8 व 9 की जददी जायदाद है जिसमे वादी स. 1 व प्रति. स. 8 व 9 का जन्म से ही विरास्तन हक व हिस्सा बनता है किन्तु प्रति. स. 8 व 9 ने अपने समस्त हक व हिस्से का परित्याग वादी स. 1 व प्रति. स. 2 के पक्ष मे कर दिया है इसी प्रकार प्रति. स. 3 को विरास्तन प्राप्त आराजी वादी स. 2 व 3 व प्रति. स. 10 इकी जददी जायदाद है जिसमे वादी स. 2 व 3 का प्रति. स. 10 का प्रति. स. 3 के साथ विरास्तन हक व हिस्सा बनता है किन्तु प्रति. स. 10 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादी स. 2 व 3 व प्रति. स. 3 के पक्ष मे कर दिया है अतः प्रति. स. 1 के नाम दर्ज आराजी के वादीगण व प्रति. स. 2 व 3 ही खातेदार काश्तकार है इसमे प्रति. स. 1 व 4 ता 10 का कोई

हक व हिस्सा शेष नही रहा है इसी कदर की घोषणात्मक डिग्री वादीगण प्राप्त करना चाहते है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड मे बलवन्त कौर पत्नि हाकम सिंह उर्फ जगमेर सिंह के नाम से आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है बलवन्त कौर पत्नि हाकम सिंह उर्फ जगमेर सिंह फौत हो गई है जिनके विधिक वारिसान प्रति. स. 2 ता 7 ही उनके समस्त हक व हिस्सा की आराजी को विरास्तन प्राप्त करने के अधिकारी एवं दावेदार है किन्तु प्रति. स. 4 ता 7 ने अपने समस्त हक व हिस्से का परित्याग प्रति. स. 2 व 3 के पक्ष मे कर दिया है अतः प्रति. स. 4 ता 7 का उक्त आराजी मे कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है बलवन्त कौर के नाम दर्ज आराजी के प्रति. स. 2 व 3 ही खातेदार काश्तकार है प्रति. स. 2 को विरास्तन प्राप्त आराजी वादी स. 1 व प्रति. स. 8 व 9 की जददी जायदाद है।जिसमे वादी स. 1 व प्रति. स. 8 व 9 का जन्म से ही विरास्तन हक व हिस्सा बनता है किन्तु प्रति. स. 8 व 9 ने अपने समस्त हक व हिस्से का परित्याग वादी स. 1 व प्रति. स. 2 के पक्ष मे कर दिया है इसी प्रकार प्रति. स. 3 को विरास्तन प्राप्त आराजी वादी स. 2 व 3 व प्रति. स. 10 इकी जददी जायदाद है जिसमे वादी स. 2 व 3 का प्रति. स. 10 का प्रति. स. 3 के साथ विरास्तन हक व हिस्सा बनता है किन्तु प्रति. स. 10 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादी स. 2 व 3 व प्रति. स. 3 के पक्ष मे कर दिया है अतः बलवन्त कौर पत्नि हाकम सिंह उर्फ जगमेर सिंह के नाम दर्ज आराजी के वादीगण व प्रति. स. 2 व 3 ही खातेदार काश्तकार है इसमे प्रति. स. 1 व 4 ता 10 का कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है इसी कदर की घोषणात्मक डिग्री वादीगण प्राप्त करना चाहते है। प्रति. स. 2 को विरास्तन प्राप्त आराजी व उनके नाम दर्ज आराजी वादी स. 1 व प्रति. स. 8 व 9 की जददी जायदाद है जिसमे वादी स. 1 व प्रति. स. 8 व 9 का जन्म से ही विरास्तन हक व हिस्सा बनता है किन्तु प्रति. स. 8 व 9 ने अपने समस्त हक व हिस्से का परित्याग वादी स. 1 व प्रति. स. 2 के पक्ष मे कर दिया है अतः प्रति. स. 2 के नाम दर्ज आराजी के वादी स. 1 व प्रति. स. 2 ही खातेदार काश्तकार है इसी कदर की घोषणा वादी स. 1 प्राप्त करना चाहते हैं। राजस्व रिकार्ड मे प्रति. स. 3 के नाम दर्ज आराजी व उनको विरास्तन प्राप्त आराजी वादी स. 2 व 3 व प्रति. स. 10 इकी जददी जायदाद है जिसमे वादी स. 2 व 3 का प्रति. स. 10 का प्रति. स. 3 के साथ विरास्तन हक व हिस्सा बनता है किन्तु प्रति. स. 10 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादी स. 2 व 3 व प्रति. स. 3 के पक्ष मे कर दिया है अतः प्रति. स. 3 के नाम दर्ज आराजी के वादी स. 2 व 3 व प्रति. स. 3 ही खातेदार काश्तकार है इसी कदर की घोषणात्मक डिग्री वादी स. 2 व 3 प्राप्त करना चाहते है। दावा की दफा 3 मे दर्ज आराजी का वादीगण ने आपस मे व प्रति. स. 2 व 3 के साथ अच्छी मन्दी के मुताबिक घरू विभाजन कर रखा है मुताबिक घरू विभाजन कर रखा है मुताबिक घरू विभाजन वादीगण व प्रति. स. 2 व 3 के हक व हिस्सा मे आई आराजी का विवरण दावा की दफा 8 में दर्ज है। वादीगण दावा की दफा 8 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है लेकिन राजस्व रिकार्ड मे उक्त आराजी उक्तानुसार वादीगण के नाम दर्ज नही होने व सांझा खातों मे दर्ज होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का दावा की दफा 4 ता 7 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व हमारा खाता दावा की दफा 8 के अनुसार अलग कायम करवा इसी अनुसार रकमराज अलग कायम करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टाल मटोल करते रहे किन्तु अन्त मे पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वाद कारण है।

उक्त दावा पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी स. 1 व 10 ने जरीये वकील जवाब दावा पेश किया तथा वादीगण के वाद पर सहमति जाहिर की प्रति स. 11 का सम्मन बाद तामील प्राप्त होने पर तथा बार बार आवाज लगवाने पर व हाजिर नही आने पर इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई प्रति स. 12 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। साक्ष्य वादी में वादी अमनदीप सिह पुत्र गुरराज सिह का अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ पत्र पेश किया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी व पर्चा खतौनी प्रदर्श करवाये गये जो प्रदर्श 1 ता 8 है। वकील वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द किये गये। तथा वादीगण द्वारा फार्म नं. 3 के साथ वारिस प्रमाण–पत्र जयमल सिह पुत्र शोभासिह जाति जटसिख साकिन जण्डवाला सिखान एवं सरपंच द्वारा जारी प्रमाण हाकम सिह उर्फ जगमेर सिह एक व्यक्ति का नाम का प्रमाण पत्र एवं हरपाल कौर पत्नी गुरराज सिह की पत्नी का सहमति शपथ पत्र पेश किया। पैतृक सम्पति साक्ष्य में जमाबन्दी मौजा जण्डवाला सिखान खाता संख्या 22 खाता जेमलसिह वगैरा पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यो को दौराते हुए कथन किया कि वाद पत्र में वर्णित उक्त चकों की समस्त आराजी विरासतन होने के कारण हमारा इसमें विरासतन हक हिस्सा बनता है। वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 ने वादीगण के वाद का कोई विरोध नहीं किया व वादपत्र को स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की गई। वादीगण द्वारा फार्म नं. 3 के साथ वारिस प्रमाण–पत्र जयमल सिह पुत्र शोभासिह जाति जटसिख साकिन जण्डवाला सिखान एवं सरपंच द्वारा जारी प्रमाण हाकम सिह उर्फ जगमेर सिह एक व्यक्ति का नाम का प्रमाण पत्र एवं हरपाल कौर पत्नी गुरराज सिह की पत्नी का सहमति शपथ पत्र पेश किया। पैतृक सम्पति साक्ष्य में जमाबन्दी मौजा जण्डवाला सिखान खाता संख्या 22 खाता जेमलसिह वगैरा पेश की प्रमाणित प्रतियों के संदर्भ में वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। वाद पत्र में वर्णित आराजी को पैतृक सम्पति साबित करने हेतु वादीगण द्वारा जमाबन्दी मौजा जण्डवाला सिखान खाता संख्या 22 खाता जेमलसिह वगैरा पेश की प्रमाणित की प्रमाणित जमाबदी पेश की है जिससे वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त आराजी की घोषणा बाबत सहमति का जवाबदावा पेश किये है। वाद पत्र में वर्णित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतःवाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा के आधार पर स्वीकार किया व डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादीगण का खाता दावा की दफा 8 के मुताबिक अलग कायम किया जाकर इसी अनुसार रकमराज अलग कायम की जाकर इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक 6 एन.के.आर खाता स. 98/87 खाता शिवराज सिंह वगैरा से प्रति. स. 2 का हिस्सा कम किया जावे व प्रति. स. 3 का नाम कलमजन किया जावे। व इसी चक के खाता स. 99/89 खाता शिवराज सिंह मे 2.404 है आराजी का वादी स. 2 व 3 को ब. हि. ब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता मे से प्रति. स. 2 का हिस्सा कम किया जावे। व इसी चक के खाता स. 71/64 खाता बलवन्त कौर वगैरा मे दर्ज कुल आराजी मे से 4.556 है आराजी का वादी स. 1 को व 3.289 है आराजी का वादी स. 2 व 3 को ब. हि. ब का व 2.150 है आराजी का प्रति. स. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से बलवन्त कौर व प्रति. स. 3 का नाम कलमजन किया जावे। व प्रति. स. 2 का हिस्सा कम किया जावे। व इसी चक के खाता स. 40/32 खाता जगमेर सिंह मे दर्ज आराजी मे से 1.012 है आराजी का वादी स. 1 को व 1.519 है आराजी का प्रति. स. 2 को व 1.012 है आराजी का वादी स. 2 व 3 को ब. हि. ब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से प्रति. स. 1 का नाम कलमजन किया जावे। व इसी चक के खाता स. 112/100 खाता हाकम सिंह मे प्रति. स. 1 के नाम दर्ज 0.253 है आराजी का प्रति. स. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से प्रति. स. 1 का नाम कलमजन किया जावे। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 25.06.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–364 / 2017

1	राजेन्द्र सिंह पुत्र शिवराज सिंह		जाति जटसिख सा.जण्डवालासिखान
2	अमनदीप सिंह	पि. गुरराज सिंह	तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3	गगनदीप सिंह		

वादीगण

बनाम

1	हाकम सिंह उर्फ जगमेर सिंह पुत्र जसमल सिंह		जाति जटसिख
2	शिवराज सिंह	पि. हाकम सिंह उर्फ जगमेर सिंह	सा. जण्डवालासिखान
3	गुरराज सिंह		तह. संगरिया
4	अमरजीत कौर	पुत्रियां हाकम सिंह उर्फ जगमेरसिंह	जिला हनुमानगढ
5	मलकीत कौर		
6	बलजिन्द्र कौर		
7	मनदीप कौर		
8	सर्वजीत कौर	पुत्रियां शिवराज सिंह	
9	कर्मजीत कौर		
10	चरणजीत कौर पुत्री गुरराज सिंह		
11	शाखा प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी बैंक लि. शाखा संगरिया		
12	तहसीलदार राजस्व संगरिया		

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्रसिंह सिद्धू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री गुरमीतसिंह कलसी वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादीगण का खाता दावा की दफा 8 के मुताबिक अलग कायम किया जाकर इसी अनुसार रकमराज अलग कायम की जाकर इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक 6 एन.के.आर खाता स. 98 / 87 खाता शिवराज सिंह वगैरा से प्रति. स. 2 का हिस्सा कम किया जावे व प्रति. स. 3 का नाम कलमजन किया जावे। व इसी चक के खाता स. 99 / 89 खाता शिवराज सिंह मे 2.404 है आराजी का वादी स. 2 व 3 को ब. हि. ब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता मे से प्रति. स. 2 का हिस्सा कम किया जावे। व इसी चक के खाता स. 71 / 64 खाता बलवन्त कौर वगैरा मे दर्ज कुल आराजी मे से 4.556 है आराजी का वादी स. 1 को व 3. 289 है आराजी का वादी स. 2 व 3 को ब. हि. ब का व 2.150 है आराजी का प्रति. स. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से बलवन्त कौर व प्रति. स. 3 का नाम कलमजन किया जावे। व प्रति. स. 2 का हिस्सा कम किया जावे। व इसी चक के खाता स. 40 / 32 खाता जगमेर सिंह मे दर्ज आराजी मे से 1.012 है आराजी का वादी स. 1 को व 1.519 है आराजी का प्रति. स. 2 को व 1.012 है आराजी का वादी स. 2 व 3 को ब. हि. ब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से प्रति. स. 1 का नाम कलमजन किया जावे। व इसी चक के खाता स. 112 / 100 खाता हाकम सिंह मे प्रति. स. 1 के नाम दर्ज 0.253 है आराजी का प्रति. स. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से प्रति. स. 1 का नाम कलमजन किया जावे।दावा की दफा 8 निम्न प्रकार से हैः–

ए राजेन्द्र सिंह पुत्र शिवराज सिंह का हिस्सा

चक 6 एन.के.आर.

139/153	39	5/0.228, 6–15/0.253प्र, गैमु/0.026 = 0.760 है
140/153	38	1 ता 4/0.228प्र, 5/0.202, 6/0.228, 7 ता 14/0.253प्र, 15/0.228, गैमु/0.202= 3.796 है
141/157	53	2–9–12–19/0.253प्र = 1.012 है

बी अमनदीप सिंह – गगनदीप सिंह पि.गुरराज सिंह का ब.हि.ब का हिस्सा

चक 6 एन.के.आर

140/153	38	16/0.228, 17 ता 24/0.253प्र 25/0.228, गैमु/0.050 = 2.530 है
139/153	39	16–17/0.253प्र, 18/0.202, 25/0.253 = 0.961 है
139/154	42	6–7–15/0.253प्र = 0.759 है
140/155	46	1 ता 4/0.228प्र, 5/0.202 , 6/0.228, 7 ता 9/0.253प्र, 10/1/0.127, गैमु/0.176 = 2.404 है
141/157	53	3–8–13–18/0.253प्र = 1.012 है

सी शिवराज सिंह पुत्र हाकम सिंह उर्फ जगमेर सिंह का हिस्सा

चक 6 एन.के.आर

140/152	34	16/0.228, 21 ता 24/0.253प्र, 25/0.228, गैमु/0.051 = 1.519 है
140/151	29	5/0.202, 6–15–16/0.228प्र, 23/0.253 गैमु/0.127 = 1.266 है
141/151	28	1/0.228, 10–11/0.253प्र, गैमु/0.025 = 0.759 है
139/153	39	4/2/0.126, 7 ता 14/0.253प्र, 18/0.051, 19/0.253 = 2.454 है

डी गुरराज सिंह पुत्र हाकम सिंह उर्फ जगमेर सिंह का हिस्सा

चक 6 एन.के.आर

140/155	46	10/2/0.126, 11 ता 14/0.253प्र, 15–16/0.228प्र, 17 ता 24/0.253प्र, 25/0.228, गैमु/0.076 =3.922 है.

नोटः– डिग्री में लिखे रकबे पर बैंक लोन होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे एवं नियमानुसार शुल्क जमा होने पर ही नकल जारी हो।

निज.....मुब्लिक..... बाबत.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 25.06.2019 को जारी की गई।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया